ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-12* January- 2021
Innovation The Research Concept

बाल अधिकार और संरक्षण–एक संक्षिप्त अध्ययन

Child Rights and Protection - A Brief Study

Paper Submission: 15/01/2021, Date of Acceptance: 26/01/2021, Date of Publication: 27/01/2021

पुष्पेन्द्र कुमार मुसा
सहायक–आचार्य,
विधि संकाय,
जय नारायण व्यास
विश्वविद्यालय, जोधपुर,
राजस्थान, भारत

सारांश

आज वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन देखने को व सुनने को मिलता है कि अमुख जगह या स्थान विशेष पर किसी बालक–बालिका से साथ अत्याचार हुआ है।

यही नहीं आर्थिक प्रतिस्पर्धा की अन्धी दौड़ में साहूकार अपने अर्थ को बढ़ाने के लिए एक बाल गोपालन की अल्प आयु में उसका शोषण करता है।

आधे दिन अखबारों में बलात्श्रम के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर मुक्ति मोर्चे उपयुक्त प्रावधानों के हेतु हुए भी क्यो उत्पन्न हुए।

कारखाना श्रमिक वर्ग के शोषण को रोकने हेतु श्रम न्यायालय की वर्तमान स्थिति इसी प्रकार अन्य व सब कमियों को ढूंढकर उनके उपचार की व्याख्या क्या होनी चाहिए, ताकि भारतीय समाज के बालकों को अपना हक मिल सकें।

इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए ही इस विषय का चयन किया गया है हालांकि भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में शोषण के विरूद्ध अधिकार पर पूर्णरूपेण सूक्ष्म जांच करना सम्भव नहीं है। बालकों के शोषण तथा उनके उपचारों की संवैधानिक व्यवस्था की गहन जाँच करना प्रस्तावित किया है।

Today, in the present day, one gets to see and hear day to day that a child or girl has been tortured at a particular place or place.

Not only this, in the dark race of economic competition, the moneylender exploits him at a young age of child rearing to increase his meaning.

In the half-day, there were also reports in the newspapers about the liberation front at the national level about the forced labor.

In order to prevent the exploitation of the factory working class, what should be the current status of the Labor Court, finding other and all deficiencies and explaining their treatment so that the children of Indian society can get their rights.

This topic has been selected only to find answers to all these questions, although it is not possible to do a thorough investigation on the right against exploitation in the context of the Indian Constitution. It is proposed to examine the constitutional system of exploitation of children and their treatment.

मुख्य शब्द : बाल अधिकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, संविधान।
Child Rights, National Commission for Protection of Child Rights, Constitution.

प्रस्तावना

आजादी के 70 से अधिक वर्ष के पश्चात् भी भारत में बालकों पर होने वाले जुल्मों को भारतीय संविधान के परिपेक्ष्य में नियमों को ताक में रखा गया है। बाल अधिकार नाबालिगों की देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाले व्यक्तिगत मानवाधिकारों को कहा जाता है। बाल अधिकारी सम्मेलन (सीआरसी) 1989 की परिभाषा के अनुसार "कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, जब तक कि नियम में परिभाषित व्यस्कता को पहले प्राप्त नहीं किया हो", बच्चा कहलाता है।

अध्ययन का उद्देश्य

बाल अधिकार और संरक्षण का उद्देश्य यह है कि आज वर्तमान समय में इनके साथ जो भी शोषण हो रहा है इसके लिए भिन्न–भिन्न प्रकार के संवैधानिक व वैधानिक प्रावधानो का सही ढंग से प्रवर्तन कराया जाय और जो भी सरकारी–गैरसरकारी संस्थानो के कर्त्तव्य व अधिकार है कि उनका सही ढ़ग से प्रवर्तन होना चाहिए जो भी बालको के साथ शोषण हो रहा है इसका ग्राफ

दिनो–दिन बढ़ता जा रहा है यह एक सोचनीय विषय है बालको को अपने अधिकारो के बारे के पता होना चाहिए यह स्कूली शिक्षा में भी बच्चों के अधिकारों के बारे मे पढ़ाया जाना चाहिए। वंचित वर्गो के बालको को समाज की मुख्यधारा मे लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) बाल अधिकारों सार्वभौमिकता और अखंडता के सिद्धान्तों पर बल देता है तथा देश के बच्चों से जुड़े सभी नीतियों में अत्यावश्यकता की आवाज को अधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करता है। आयोग के लिए 0 से लेकर 18 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों की सुरक्षा का समान महत्व रखता है। अतः नीति अत्यधिक कमजोर बच्चों के लिए प्राथमिक कार्यकलापन को परिभाषित करती है। इसमें उन क्षेत्रों में ध्यान एकाग्रता शामिल है जो पिछड़ा है अथवा कुछ निश्चित परिस्थितियों वाले समदायों अथवा बच्चों इत्यादी है। NCPCR की मान्यता यह है कि केवल कुछ बच्चों के लालन–पालन एवं शिक्षण के दौरान, अनेक कमजोर बच्चों के दैनिक कार्यकलापों में दोष हो सकता है जो परिभाषित अथवा लक्षित वर्गों में आ सकते। इसके कारण उन बालकों को अन्य बालकों के साथ व्यवहार में लाने अथवा समाज के मुख्यधारा में कठिन हो जाता है। जिस कारण बालकों के अधिकारों के उल्लंघन सामाजिक सहनशीलता के कारण जारी रहता है।

बाल–संरक्षण कार्यक्रमों द्वारा बालकों के अधिकारों पर पूर्व से जोर दिया जा रहा है। जिसमें समाज के वंचित वर्गों के बालकों का संरक्षण किया जा सकेगा। जिससे उनको वो बुनियादी सुविधाएं प्रदान कि जा सके, जिसके वे हकदार है और जिसमें उनका सर्वागीण विकास हो सके।

इसी तरह आयोग के लिए बच्चों को मिलने वाले सभी अधिकार पारस्परिक सुदृढ़कीरण और अन्योन्याश्रित के रूप में देखा जाता है। कोई बच्चा अपने 18वें वर्ष पर सभी अधिकार प्राप्त कर सकता है जो जन्म से लेकर उसकी सभी पात्रता के अभिगम पर निर्भर करता है। अतः नीतियों के हस्तक्षेप को सभी अवस्थाओं पर महत्वपूर्ण माना जाता है। आयोग के लिए, सभी बच्चों के अधिकार समान महत्व के होते है।

स्थापना

राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (NCPCR) की स्थापना मार्च 2007 को बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम 2005, को संसद का एक अधिनियम (दिसम्बर 2005) के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई।

आयोग के कार्य

इस अधिनियम में आयोग के कार्य को इस प्रकार से वैध किया हैं –

आयोग सभी या निम्न में से कोई कार्य करेगा –

1. प्रदान किए अथवा किसी कानून के तहत एक खास समय में बाल अधिकारों की सरक्षा की जांच तथा समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय की अनुशंसा करना।
2. केन्द्र सरकार को वार्षिक रूप से या जैसा कि आयोग को सही लगता है, उन सुरक्षा के प्रावधानों के कार्य पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
3. बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना तथा ऐसे मामलों में कार्यवपाही की शुरूआत की अनुशंसा करना।
4. आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदाओं, घरेलू हिंसा, एचाआईवी / एड्स, देह व्यापार, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न तथा शोषण, पॉर्नोग्राफी तथा वैश्यावृणि, पॉर्नोग्राफी तथा वैश्यावृत्ति द्वारा प्रभावित बच्चों के उन कारकों की जांच करना जो उनके अधिकार का वंचन करते हों व उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करना है।
5. विशेष देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता, वाले बच्चों से जुड़े मामले को देखना, जिसमें विपत्ति, हाशिए पर स्थित बच्चे, वंचित बच्चे, गैर–कानूनी काम करने वाले बच्चे, किशोर, बिना परिवार के बच्चे व कैदियों के बच्चे शामिल होतें हैं साथ ही उनके लिए उचित उपचारात्मक कदमों की अनुशंसा करना।
6. समझौतों व अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना व मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों व बाल अधिकारों पर अन्य क्रियाकलापों का समय–समय पर समीक्षा करनार और बच्चों के लित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुशंसा करना।
7. बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान का संचालन करना।
8. समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बाल अधिकार साक्षरता का प्रसार करना तथा इन अधिकारों के लिए उपलब्ध सुरक्षा प्रावधानों के लिए प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार व अन्य साधनों के जरिए जागरूकता फैलाना है।
9. किसी किशोर हिरासत गृह या किसी अन्य आवास अथवा संस्थान जहां बच्चों को उपचार, सुधार या सुरक्षा के लिए रखे या रोके जाते हैं। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के तहत आते हों या किसी अन्य प्राधिकार के तहत आते हों, इसमें किसी सामाजिक संगठन द्वारा संचालित संस्थान भी शामिल हैं, की जांच करना या इसका आदेश देना और आवश्यकता पड़ने पर इन संस्थानों को उपचारात्मक कार्यवाही करने का भी आदेश देना।
10. निम्न मामलों में शिकायतों की जांच करना और अपनी तरफ से नोटिस भेजना –

a. बाल अधिकारों का उल्लंघन व वचन।
b. बच्चों की सुरक्षा तथा विकास के लिए उपलब्ध कानून का क्रियान्वयन न होना।
c. बच्चों की कठिनाईयों को कम करने वाले तथा बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने वाले नीति निर्णयों, दिशा–निर्देशों या निर्देशों का अनुपालन न होना, तथा ऐसे बच्चों को राहत प्रदान करना या ऐसे मामले को उचित प्राधिकारों के साथ चर्चा करना।

कोई अन्य कार्य, जो कि यह बच्चों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझता हो, तथा वे मामले जो उपरोक्त कार्यों के लिए ज्ञातव्य हो।

आयोग शक्तियां

किसी मामले की जांच करने के दौरान आयोग के पास कोड ऑफ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विशेषकर निम्न मामलों में व्यवहार न्यायालय द्वारा कार्यवाही करने के सभी अधिकार होगें –

1. भारत में किसी भी हिस्से से किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना तथा उसे उपस्थित होने के लिए कहना और शपथ दिलाकर जांच करना।
2. किसी दस्तावेज की खोज तथा निर्माण करने की आवश्यकता जताना।
3. शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।
4. किसी कोर्ट ऑफ ऑफिस से किसी पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी की मांग करना।
5. गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए आयोगों के गठन का आदेश देना।
6. मामले को उन मजिस्ट्रेट के पास भेजना जिनके पास उनकी सुनवाई के न्यायिक अधिक हों।
7. जांच समाप्त होने पर, आयोग के पास निम्न कार्यों की शक्ति होगी –

a. जांच के दौरान बाल अधिकारों तथा कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का मामला साबित होने पर संबंधित सरकार को कार्यवाही या अभियोजन अथवा किसी अन्य कार्यवाही के लिए अनुशंसा करना।
b. यदि वह अदालत उचित समझती है तो निर्देशों, आदेशों या आज्ञापत्र के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाना।
c. यदि आवश्यक हो तो पीड़ित या उनके परिवार के सदस्यों की ऐसी अंतरित सहायता की मंजरी के लिए संबद्ध सरकार या प्राधिकार को अनुशंसा भेजना।

भारत में बाल अधिकारों को संरक्षण देने के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय बालकों का जीवन सुरक्षित व उज्ज्वल रखने हुए संविधान में ऐसे प्रावधान किये जो बालकों के संरक्षण की व्यवस्था को प्रदर्शित करते है। कुछ अयोग्यता के कारण आयु या लिंग के आधार पर विर्भद को प्रतिशिद्ध करता है।

बालक जो देश के भविष्य की धरोहर होते है उनका शोषण निर्हित स्वार्थी तत्वों द्वारा मात्र अपने फायदे के लिए भावी कर्णधारों की जिन्दगी से बोलते है।

"पण्डित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हमारे देश का भविष्य देश के विद्यालयों में विकसित हो रहा है।"

बालक जो भविष्य का नागरिक व भविष्य का नियन्ता होता है और किसी भी देश अथवा समाज का भविष्य, इस बात पर निर्भर करता है कि उसके बच्चों की स्थिति क्या है ?

अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि वर्डसर्वथ न ठीक कहा था कि "बालक मानव समाज का पिता है" जिसमें समाज अथवा देश का भाग्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसके बच्चे कितने शिक्षित है, कितने उच्च वातावरण में पले है और जो बड़े होकर ऐसे व्यक्ति बनेगें, जो समाज में अपना एक स्थान रखते है।

इस प्रकार देश व समाज के मूल में परिवार होता है। बच्चे उस परविार का प्रतिफल होते जो इसी समाज में बड़े होकर समाज के क्रमशः नायक व महानायक बनते है।

1. कानून के समक्ष्या समानता।[1]
2. राज्य किसी नागरिक के साथ भेद–भाव नहीं करेगा। इस अनुच्छेद में उल्लिखित कोई भी बात राज्य द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने में अवराध उत्पन्न नहीं करेगी।[2]
3. जीवन अधिकार।[3]

उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत जीवन और स्वतंत्रता की उदार व्याख्या में कहा कि स्वतंत्र शब्द में न केवल स्वतंत्रता शामिल है, बल्कि आजीविका भी शामिल है, लेकिन साथ ही साथ मनुष्य को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी है और इसमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल है, और इसलिए शिक्षा का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है।

उन्नीकृष्णन के मामले के बाद सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा मोहिनी जैन के मामले को सर्वोपरी किया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि षिक्षा का अधिकार प्राथमिक शैक्षिक स्तर तक समिति हो सकता है और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नही।

"बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान–राज्य संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रदान करने का प्रयास करेगा।"

यह माना गया कि राज्य को सरकार और विद्यालयों के माध्यम से उस दायित्व का निवर्हन करने से रोकने के लिए भी नहीं था, और अनुच्छेद 45 में अल्पसंख्यक समुदायों की कीमत पर दायित्व काा निवर्हन करने की आवश्यकता नहीं है।[4]

जीवन का अधिकार उन सभी अधिकारों के लिए अनिवार्य अभिव्यक्ति है, जिन्हें न्यायलयों को लागू करना चाहिए क्योंकि वे जीवन के गरिमापूर्ण आनन्द के लिए बुनियादी है। यह पूरी तरह से आचरण का विस्तार करता है जिसे व्यक्ति आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार से सीधा सम्बन्ध रखता है।[5]

1. राज्य स्वयं के कानूनों के अनुसार निर्दिष्ट तरीकों द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा।[6]
2. मनुष्यों के र्दुव्यवहार तथा बलात् श्रम का निषेध।[7]

मानव का र्दुव्यवहार व बेगार तथा इसी प्रकार का बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराधन होगा, जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंष, जाति या धर्म या वर्ग या इनमें से किसी आधार पर विर्भद नही करेगा।

1. कारखानों में बच्चों की नियुक्ति का निषेध।[8]

संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम की अधिसूचना 13 दिसम्बर 2002 को जारी की गयी थी, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को उनका मूल अधिकार बनाया गया।

1. बालश्रम को रोकने के लिए।[9]
2. आरम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की षिक्षा के लिए प्रावधान।[10]
3. पोषण स्तर तथा जीवन यापन के मान को ऊँचा उठाने का प्रावधान।[11]

निष्कर्ष

इसके अतिरिक्त संविधान की मन्शा के अनुसार भारतीय संसदने वे तत्कालीन समयों की भारत सरकार बालकों को राहत प्रदान करने के लिए समय–समय पर विभिन्न कानून बनाये जा रहे है ताकि बालकों का शोषण रोका जा सके।

बालकों के शोषण विरूद्ध बाल नयायालय, वरिष्ठ न्यायालयों में अभिकरणों में और मूलन अधिकारों का सुरक्षा प्रहरी व अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में नैसंगिक न्याय के नियमों का पालन करवाया जा सकता है।

जैसा कि न्यायधीश भगवती ने सही कहा है "बच्चा एक आत्मा है, एक प्रकृति, स्वयं की प्रकृति और समानताऐं है, जिन्हे उन्हे खोजने में मदद करनी चाहिए। परिपक्वता में बढ़ने के लिए शारीरिक और महत्वपूर्ण उर्जा की आवश्यकता होती है।"

इसके अलावा भावनात्मक, बौद्धिक और अध्यात्मिक ऊँचाई प्राप्त करने के लिए बच्चों को मार्गदर्शन और सहायता की आवश्यकता होती है। ये जीवन की तकनीकीताओं को नहीं जानते है। यह हमारे जैसे नागरिकों का उत्तरदायित्व है, उनका हाथ पकड़कर उन्हें सही रास्ता दिखाना। जिस प्रकार सामाजिक कार्यकत्ताओं सामाजिक कुरीतियों को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते है ठीक उसी प्रकार बालों को भी अपनी योग्यता और पेशेवर समता विकसित करन के लिए समाज के विष्लेषण की आवश्यकता होती है। यद्धपि बालकों के विरूद्ध सामाजिक बुराईयों को रोकने के लिए सरकार द्वारा बहुत से कानून बनाये गये है लेकिन सरकार द्वारा इन्हें सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं कि जा रही है। बालक हमारे देश के भविष्य है, उनकी रक्षा आवष्यक है। यह बाल की हमारे देश को एक स्वास्थ और समृद्ध राष्ट की ओर ले जायेगें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *अनुच्छेद–14, भारतीय संविधान।*
2. *अनुच्छेद–15, भारतीय संविधान।*
3. *अनुच्छेद–21, भारतीय संविधान।*
4. *मोहिनी जैन बनाम् कर्नाटक राज्य और अन्य, AIR 1992, SC 1858.*
5. *उन्नीकृष्णन, जे.पी. और अन्य बनाम् आंध्र प्रदेष राज्य और अन्य आकाषवाणी 1993 एस. सी. 2178.*
6. *अनुच्छेद–21 ए, भारतीय संविधान।*
7. *अनुच्छेद–23, भारतीय संविधान।*
8. *अनुच्छेद–24, भारतीय संविधान।*
9. *अनुच्छेद–39(ई), भारतीय संविधान।*
10. *अनुच्छेद–45, भारतीय संविधान।*
11. *अनुच्छेद–47, भारतीय संविधान।*